राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम–एसपीएफसी) विभाग

F.3(2)FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 Date: 16/3/2026

परिपत्र

राजस्थान सरकार ने राज्य में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) विकसित किया जा रहा है।

SHPP के प्रथम चरण में निम्नलिखित खरीद विधियों के अंतर्गत e-procurement प्रणाली अब संचालित (Operational) हो चुकी है–

1. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (RFQ)
2. सीमित निविदा (Limited Bidding)
3. अधिसूचित एजेंसियों से खरीद (Procurement from Notified Agencies)
4. वाहन किराये पर लेना (Vehicle on Hire)

सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित खरीद विधियों के अंतर्गत **तत्काल प्रभाव से SHPP के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ करें।**

सभी विभागाध्यक्षों (HODs) का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वे संबंधित सभी अधिकारियों – **जिनमें प्रभारी अधिकारी, लेखा अधिकारी, भंडार प्रभारी अधिकारी तथा खरीद एवं भंडार प्रबंधन से जुड़े अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं – को आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे सभी खरीद संबंधी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से SHPP पोर्टल के माध्यम से ही संपादित करें।**

SHPP पोर्टल को **shpp.rajasthan.gov.in** अथवा उपयोगकर्ताओं के संबंधित **SSO IDs** के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए **श्री नाथू राम ढाका (CAO), SPFC** मोबाइल नं.9783165351 अथवा ई–मेल cao.spfc@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

16/03/26

~~(राजन~~ विशाल)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः–

1.सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य
2.उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3.सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6.रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7.प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8.प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9.समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10.समस्त विभागध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11.रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12.समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13.समस्त कोषाधिकारी ।
14.समस्त उपापन संस्थाएं।
15.तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (एफआर–एसपीएफसी) विभाग